//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – श्री राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 88 / 2017

उनवान

अशोक कुमार बनाम सुरेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

–: आदेश :– दिनांक :– 20.4.2021

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थन काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 144 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया जिसका जवाब दावा प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया जा चुका है। विवादित भूमि के संबध में हाजा न्यायालय में पूर्व में वाद संख्या 39/02 अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 के अन्तर्गत पेश हुआ था जिस पर वाद स्वीकार कर दिनांक 28.12.02 को प्राथमिक डिक्री पारित कर विधिवत विभाजन प्रस्ताव के आदेश पारित किये थे। उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी है। तथा दिनांक 20.12.03 को अंतिम डिक्री पारित की गयी है। वादीगण को उक्त प्रकरण की पूर्व में जानकारी थी। इसके उपरान्त भी उनके द्वारा दावाकृत सम्पदा बाबत उक्त वाद पुनः पेश किया है। पूर्व निर्णय में पारित आदेश की पालना में आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में अलग–अलग दर्ज कर दी गयी। इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नही है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा दिनांक 15.05.17 को वाद कारण उत्पन्न होना दर्शाया है किन्तु वादीगण को वाद प्रस्तुत करने बाबत कोई वाद कारण ही उत्पन्न नही हुआ है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

अधिवक्ता वादी को समुचित अवसर देने के उपरानन्त भी उसके द्वारा जवाब पेश नही करने पर जवाब बंद किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थन काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 144 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया जिसका जवाब दावा प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया जा चुका है। वादीगण ने उक्त वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण के नाम रालजस्व अभिलेख में अलग–अलग खातों में दर्ज है। वादी द्वारा समस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने हेतु अनुतोष चाहा है। वादीगण द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित किया है कि आराजी मुतनाजा के राजस्व रेकार्ड में प्रत्येक खसरा नम्बर में बट्टा नम्बर त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दिये किन्तु उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु कोई अनुतोष नही चाहा है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा के रेकार्डेड खतेदार है जिन्हे पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। वादीगण द्वारा पूर्व वाद के विरूद्व कोई चाराजोही नही की है। हाजा न्यायालय द्वारा पारित पूर्व वाद का निर्णय आज दिनांक तक प्रभावी है राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी न्यायालय निर्णय से अलग–अलग खातों में दर्ज हुयी है। वादी ने प्रश्नगत वाद में वाद कारण अंकित करते हुये कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने आराजी मुतनाजा पर दखल व बाधा उत्पन्न करी। किन्तु आराजी मुतनाजा का वादी एकल खातेदार नही है। उक्त आराजी अलग–अलग खातों में दर्ज है। अतः आराजी मुतनाजा पर वाद लाने का प्रथम दृष्टया ही अधिकारी नही है। वाद में वाद कारण स्पष्ट प्रदर्शित होना आवश्यक नही है वरन् वाद कारण उत्पन्न होना दस्तावेज से [illegible] चाहिये प्रस्तुत प्रकरण में वाद कारण उत्पन्न नही होने व प्रश्नगत खसरा नम्बर [illegible] नही होने से वाद की कार्यवाही आगे चलना न्यायोचित नही है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी का वाद इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:35 IST
Reason: SelfAttested